चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 18.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा स्कूल के फादर बास्टीन अरेकिल की उपस्थिति में संत थॉमस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कर्वी में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

<u>यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-</u>

* हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं ।
* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है ।
* नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है ।
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
* ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद, प्रभारी यातायात श्री शैलन्द्र सिहं एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मु0सं0 -581/2024 , अ0सं0 – 173/23 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 के वारण्टी अभियुक्त अवनीश पटेल उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद उम्र करीब 27 वर्ष निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय
2. आरक्षी सूरज कुमार निर्मल

(4). आज दिनाँक 18.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती पूनम पत्नी कुलदीप निषाद निवासी कुटी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति कुलदीप द्वारा घरेलू कार्य को लेकर गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती रंजना तिवारी व महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती रंजना तिवारी

2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(6). आज दिनांक 18.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में यातायात माह नवम्बर जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत थाना रैपुरा क्षेत्र के ग्राम भौरी में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 51 हेलमेट महिलाओं एवं आम नागरिकों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरुक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई साथ ही आमजनमानस को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-

* हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं।
* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है।
* नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है।
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
* ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है।

इस दौरान ब्लॉक प्रमुख श्री अरविन्द मिश्रा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल,प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी, पीआरओ श्री प्रदाप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण,सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहें।

(7). मार्गशीर्ष मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आज राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में मेला में तैनात पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए सभी पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन

प्वांइट पर ड्यूटी लगी है वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पुरे पुलिस फोर्स को 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 19 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 75 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 198 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,60 महिला कांस्टेबल, 03 उपनिरीक्षक यातायात,14 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात,12 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू,01 डॉग स्क्वायड,01बीडीएस,01एसचेक, पीएससी की एक प्लाटून फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा एवं मेला में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 18.11.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2016 धारा 148,149,386,323,504,506 भादवि0 व 12/14 डी0ए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1. गोप्पा यादव उर्फ रामगोपाल उर्फ भोला यादव पुत्र चुनकू यादव निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2.खरदूषण उर्फ भईयन यादव उर्फ टाइगर पुत्र हीरालाल यादव निवासी नेउरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 4500-4500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.10.016 को वादी कमलेश साहू पुत्र हीरालाल द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों उपरोक्त द्वारा हनुआ के पास एक राय होकर मारपीट, गाली गलौज कर जबरन वसूली करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 211/2016 धारा 148,149,386,323,504,506 भादवि0 व 12/14 डी0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया,जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री भानूप्रकाश द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 12.08.017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।